प्रेस नोट थाना सदर जनपद आगरा

थाना सदर पुलिस टीम द्वारा हत्या कर शव को गड्ढे में दबाने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार...

घटना का विवरण :—

दिनांक 28.06.2021 को वादिया ने तहरीर दी कि मेरे पति नीरज कुमार पुत्र लाखन सिंह जो डीआरएम कार्यालय में चालक का कार्य करते हैं, जो दिनांक 25.06.2021 से गुम हैं एवं जिनके सम्बन्ध में आज मैंने थाने पर गुमशुदगी दर्ज करायी थी। मेरे पति से विनोद नि0 सौहल्ला रंजिश मानता था। विनोद शक करता था कि मेरे पति के अवैध सम्बन्ध उसकी पत्नी से हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे पति को विनोद ने ही गायब कराया है। इस सम्बन्ध में थाना सदर पर मु0अ0सं0 286/21 धारा 364 भादवि पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त घटना के अनावरण एवं संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आगरा द्वारा दिये गये आदेशानुसार, पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर के सफल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी सदर को टीम गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये।

इसी क्रमानुसार दिनांक 28.06.2021 को गठित पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन हेतु चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त इस समय अपने घर पर आया हुआ है। यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस टीम द्वारा तत्काल बताये स्थान पर पहुंच एक बारगी दबिश देते हुए अभियुक्त विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया।

पूछताछ का विवरण :—

पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त विनोद से सख्ती से पूछताछ करने पर बताया गया कि मैं कमाण्डेण्ट साहब के यहाँ दूध देने के लिए आता थे। उनके चालक नीरज से मेरी दोस्ती हो गयी था, जिसके कारण वह मेरे घर आने जाने लगा था। उसके मेरी पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध हो गये थे। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने नीरज को रास्ते हटाने के लिए उसकी हत्या की योजना बनायी। योजना के अनुसार मैं उसके शराब पिलाने के बहाने रेलवे कालोनी के खाली क्वार्टरों के पास ले गया। वहाँ हम दोनों ने शराब पी। जब वह नशे में धुत हो गया तो मैंने हथौड़ा मारकर नीरज की हत्या कर दी और शव को रेलवे के खाली कंडम क्वार्टरों व खाली प्लॉटों के पास खड़ी झाड़ियों के पास गड्ढा खोदकर गाड़ दिया है। पुलिस टीम द्वारा बताये स्थान पर पहुंच गड्ढे को खोदा गया जिसमें शव एवं एक पासबुक बरामद हुयी। अभियुक्त विनोद द्वारा बताया गया कि यह मेरी पासबुक है, जो गड्ढा खोदते समय गिर गयी होगी। अभियुक्त की निशानदेही पर पानी की तलैया से 01 अदद फावड़ा व 01 आला कत्ल हथौड़ा बरामद किये गये।

शव बरामदगी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. विनोद पुत्र पातीराम नि0 सौहल्ल आगरा कैण्ट थाना सदर जनपद आगरा।

बरामदगी का विवरण :–

01. 01 अदद फावड़ा।
02. 01 आला कत्ल हथौड़ा
03. 01 पासबुक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

01. प्रभारी निरीक्षक श्री अजय कौशल थाना सदर जनपद आगरा।
02. व0उ0नि0 सुरेन्द्र पाल सिंह थाना सदर जनपद आगरा।
03. उ0नि0 मौ0 नफीस थाना सदर जनपद आगरा।
04. उ0नि0 अनुज कुमार थाना सदर जनपद आगरा।
05. उ0नि0 अनुभव सिंह थाना सदर जनपद आगरा।
06. उ0नि0 तेजवीर सिंह थाना सदर जनपद आगरा।
07. का0 अजीत कुमार थाना सदर जनपद आगरा।

मीडिया सेल जनपद आगरा।